

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
सूची संलग्न।

पटना, दिनांक 28/02/2019

विषय-

मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-0305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन उपशीर्ष-के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राज्यांश के तहत कुल-1194723502/- ( एक अरब उन्नीस करोड़ सैंतालीस लाख तेईस हजार पांच सौ दो ) रुपये मात्र अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत मांग सं0-20 विपत्र कोड सं0-20-2211001010305 में वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिए राज्यांश के तहत कुल- 1194723502/- ( एक अरब उन्नीस करोड़ सैंतालीस लाख तेईस हजार पांच सौ दो ) रुपये मात्र अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक-17.04.98 एवं 159 वि0 (2) दिनांक-20.03.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. यह आवंटन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में कार्यरत एल0एच0भी0/ ए0एन0एम0 के ही वेतानादि भुगतान हेतु निर्गत किया जा रहा है।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त एवं कार्यरत कर्मचारियों का ही वेतनादि का भुगतान करेंगे।
5. चालू वर्ष के वेतन भुगतान सुनिश्चित कर ही आवंटित राशि से बकाया भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृति एवं न्यायादेश के आलोक में यदि वेतनादि भुगतान का मामला लम्बित हो तो सर्वप्रथम उपलब्ध आवंटन से भुगतान की कार्यवाई करेंगे। इकाई मदवार अद्यतन व्यय विवरणी के साथ संभावित अतिरिक्त आवंटन का इकाई मदवार अधियाचना विहित प्रपत्र में किया जाय।
6. स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय, भारत सरकार नई, दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-एम0-11018/1/2006-FWD दिनांक-20.04.2006 के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 से स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के अधीनस्थ ऐच्छिक कार्य कर्ताओं का मासिक मानदेय, किराये पर संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का मकान भाड़ा, आकस्मिकताएं (कार्यालय व्यय) का भुगतान RCH Flexible Pool से किया जाना है अतः इस हेतु प्रस्तुत आवंटन में राशि का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। इसका भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जायेगा।
7. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए प्राप्त आवंटन से अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यकता अनुसार राशि का उप आवंटन अपने स्तर से करेंगे।
8. इस राशि का व्यय मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण-केन्द्र प्रायोजित योजना-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 0305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन 20-2211001010305 उपशीर्ष के अन्तर्गत वहन होगा तथा चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

Q

9. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व की भांति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, पटना होंगे।
10. आवंटित राशि का जिला स्तर पर समेकित व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 वी तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना तथा महालेखाकार कार्यालय से व्यय एवं प्राप्ति आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान अनिवार्य है।
11. निकासी-सह-व्ययन पदाधिकारी पत्र निर्गत होने के सात दिनों के अन्दर सभी कर्मियों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन



( राधेश्याम साह),

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- 37(12) अ

स्वा0/पटना दिनांक 28/02/2019

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट, शाखा, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख/ लेखा शाखा एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव ।

मुख्य शीर्ष-2211 परिवार कल्याण

लगा शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं

उपशीर्ष-0305-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन

विपत्र कोड- 20-2211001010305

आवंटन (राज्यांश)

वित्तीय वर्ष-2018-19

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन (01 01)	जी०या०मत्ता (01 03)	मकान किराया मत्ता (01 04)	परिवहन मत्ता (01 05)	चिकित्सा मत्ता (01 06)	अन्य मत्ता (01 07)	योग-वेतन एवं मत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06 01)	वर्दी/ पोशाक (13 06)	कार्यालय व्यय (13 01)	विद्युत प्रभार (13 04)	कुल योग-
1	औरंगाबाद	12000000	12000000	2000000	200000	70000	20000	26290000	0	0	0	0	26290000
2	बांका	9000000	9000000	2000000	200000	70000	20000	20290000	0				20290000
3	बेगूसराय	56000000	56000000	2000000	200000	70000	20000	114290000	0				114290000
4	भागलपुर	22000000	22000000	2000000	200000	70000	20000	46290000	0				46290000
5	भोजपुर	14000000	13000000	2000000	200000	70000	20000	29290000	0				29290000
6	बक्सर	10000000	10000000	2000000	200000	70000	20000	22290000	0				22290000
7	प० चम्पारण (बेतिया)	22000000	22000000	2000000	200000	70000	20000	46290000	0				46290000
8	दरभंगा	15000000	15000000	2000000	200000	70000	20000	32290000	0				32290000
9	गया	48000000	45000000	2000000	200000	70000	20000	95290000	0				95290000
10	गोपालगंज	6500000	6500000	400000	200000	70000	20000	13690000	0				13690000
11	जमुई	4500000	4500000	400000	200000	70000	20000	9690000	0				9690000
12	कटिहार	5000000	6000000	700000	200000	70000	20000	11990000	0				11990000
13	खगड़िया	9300000	9300000	800000	200000	70000	20000	19690000	0				19690000
14	लखीसराय	9300000	9300000	800000	200000	70000	20000	19690000	0				19690000
15	मधुबनी	10000000	19200000	800000	200000	70000	20000	30290000	0				30290000
16	मोतिहारी	10000000	12000000	200000	200000	70000	20000	22490000	0				22490000
17	मुंगेर	5500000	5500000	400000	200000	70000	20000	11690000	0				11690000
18	मुजफ्फरपुर	40000000	50000000	400000	200000	70000	20000	90690000	0				90690000
19	नालन्दा	25000000	25000000	200000	200000	70000	20000	50490000	0				50490000
20	नवादा	15000000	10000000	800000	200000	70000	20000	26090000	0				26090000
21	पटना	80000000	100000000	800000	300000	70000	20000	181190000	200000	300000	220000	100000	182010000
22	पूर्णिया	20000000	8000000	1000000	200000	70000	20000	29290000	0				29290000
23	रोहतास	65000000	30000000	5000000	200000	70000	20000	100290000	0				100290000
24	सहरसा	4500000	4500000	400000	200000	70000	20000	9690000	0				9690000
25	समस्तीपुर	14000000	14000000	500000	200000	70000	20000	28790000	0				28790000
26	सारण	9000000	15000000	2000000	200000	70000	20000	26290000	0				26290000
27	सीतामढ़ी	4500000	4500000	400000	200000	70000	20000	9690000	93502				9783502
28	सिवान	8000000	9500000	200000	200000	70000	20000	17990000					17990000
29	बैराली	6000000	45000000	200000	200000	70000	20000	51490000					51490000
	कुल योग	559100000	591800000	34400000	5900000	2030000	580000	1193810000	293502	300000	220000	100000	1194723502

स्वा० विभागीय पत्रांक- सं०-1352 (14)  
दि०-28.08.18 श्रीमती रेणु कुमारी का  
चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में 93502 रु० मात्र  
देय।

कुल योग-1194723502 (एक अरब उन्नीस करोड़ सैंतालीस लाख तेईस हजार पांच सौ दो) रुपये मात्र

37 (12) अ  
28/02/2019

सरकार के विशेष सचिव

विपत्र कोड- 20-2211001010305

आवंटन (राज्यांश)

वित्तीय वर्ष-2018-19

व्यय सारांश

क्रमांक	इकाई व्यय	इकाई व्यय	बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक से प्राप्त आवंटन	कुल प्राप्त बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	शेष उपबंध
1	01 01	वेतन	300000000	600000000	900000000	299495000	559100000	858595000	41405000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	300000000	600000000	900000000	298488000	591800000	890288000	9712000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	100000000	400000000	140000000	99780000	34400000	134180000	5820000
4	01 05	परिवहन भत्ता	6000000	4000000	10000000	1240000	5900000	7140000	2860000
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	5000000	3000000	8000000	4925000	2030000	6955000	1045000
6	01 07	अन्य भत्ता	3600000	800000	4400000	3550000	580000	4130000	270000
योग वेतन एवं भत्ते			714600000	1247800000	1962400000	707478000	1193810000	1901288000	61112000
7	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1349000	1000000	2349000	1140000	293502	1433502	915498
8	13 01	कार्यालय व्यय	3400000	500000	3900000	780000	220000	1000000	2900000
9	13 04	विद्युत प्रभार	7000000	500000	7500000	3040000	100000	3140000	4360000
10	13 06	वर्दी पोशाक	5000000	200000	5200000	2250000	300000	2550000	2650000
11	28 01	व्यावसायिक विशेष सेवाएं	2000000	1000000	3000000	350000	0	350000	2650000
कुल योग			733349000	1251000000	1984349000	715038000	1194723502	1909761502	74587498

कुल योग-1194723502 (एक अरब उन्नीस करोड़ सैंतालीस लाख तेईस हजार पांच सौ दो) रूपये मात्र

37 (12) अ  
28/02/2019

सरकार के विशेष सचिव